

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक- सि० को०-०१/२००१ पार्ट-IV- 36

/ पटना, दिनांक- 16.1.20

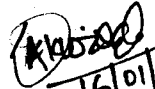
आवश्यक सूचना

विषय- सारण मुख्य नहर एवं इससे निःसृत नहर प्रणालियों में पश्चिमी गंडक प्रणाली के पुनर्स्थापन कार्य हेतु रब्बी सिंचाई २०१९-२० के दौरान जलश्राव बंद रखने के संबंध में ।

Subject:- Notice for closure of Saran Main Canal and its systems during Rabbi Irrigation 2019-20 for Restoration work of Gandak Western Canal System.

मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, सिवान के परिक्षेत्राधीन पश्चिमी गंडक प्रणाली के पुनर्स्थापन कार्य हेतु सारण मुख्य नहर एवं इससे निःसृत नहर प्रणालियों में रब्बी सिंचाई २०१९-२० के दौरान जलापूर्ति बंद रखने का निर्णय लिया गया है ।

अतः सारण मुख्य नहर एवं इससे निःसृत नहर प्रणालियों के कमाण्ड क्षेत्र के कृषकों को सूचित किया जाता है कि रब्बी सिंचाई २०१९-२० के दौरान इन नहरों में जलापूर्ति नहीं की जा सकेगी । उनसे अनुरोध है कि उक्त अवधि में रब्बी सिंचाई हेतु वैकल्पिक व्यवस्था से पटवन करने का कष्ट करेंगे । उपरोक्त कार्य में किसानों का भरपूर सहयोग प्रार्थित है ।


16/01/2020
(अरूण कुमार द्विवेदी)

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

ज्ञापांक-सि० को०- १/२००१ पार्ट III- 36

/ पटना, दिनांक- 16.1.20

प्रतिलिपि:- उप सचिव , ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी०डी० के साथ बिहार गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

अनु०- यथावत् ।


16/01/2020
(अरूण कुमार द्विवेदी)

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

ज्ञापांक- सि० को०- १/२००१ पार्ट III- 36

/ पटना, दिनांक- 16.1.20

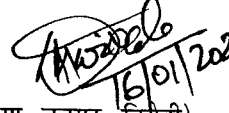
प्रतिलिपि:- जन संपर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचना की दस प्रति एवं सी० डी० के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । कृपया इस सूचना को दो समाचार पत्रों में एक दिन बीचकर दो दिन प्रकाशित कराया जाय ।

अनु०- यथावत् ।


16/01/2020
(अरूण कुमार द्विवेदी)

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/ सचिव के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार, पटना/ निदेशक, कृषि विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना/ निदेशक, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, पटना/ आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा/ जिलाधिकारी, गोपालगंज, सिवान एवं सारण/ अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, पटना/ मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, सिवान/ मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, जल संसाधन विभाग, पटना/ अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-2, जल संसाधन विभाग, पटना/ अधीक्षण अभियंता, सिंचाई योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


(अरूण कुमार द्विवेदी)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)